राजस्थान सरकार
निदेशालय, स्थानीय निकाय विभाग, राज0 जयपुर
(जी.3, राजमहल रेजीडेन्सी ऐरिया, सिविल लाईन फाटक, 22 गोदाम, सी–स्कीम जयपुर–302005)
टेलीफैक्स.0141–2222403, ईमेल– dlbrajasthan@gmail.com वेब साईट www.lsg.urban.rajasthan.gov.in

कमांकः एफ.59/एसटीपी/डीएलबी/सा.स्पष्टी.–वि. राय/15/795 दिनांक : 13.10.16

आयुक्त/अधिशाषी अधिकारी,
समस्त नगरीय निकाय,
राजस्थान।

विषयः– भू–उपयोग परिवर्तन के प्रकरणों के निस्तारण के संबंध में गठित समिति दिनांक 22.07.2010 के संबंध में।

संदर्भः– नगरीय विकास विभाग, राजस्थान, सरकार के पत्र क्रमांक प.10(35)नविवि/3/2010/पार्ट–I दिनांक 29.10.2016 के संदर्भ में।

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है, कि राज्य के नगरीय क्षेत्र हेतु भू–उपयोग परिवर्तन नियम, 2010 के आदेश दिनांक 16.04.2010 एवं 28.10.2010 तथा समय–समय पर जारी अन्य आदेशों को इकजाई करते हुये भू–उपयोग परिवर्तन की विस्तृत व मानदण्ड हेतु नगरीय विकास विभाग, राजस्थान सरकार द्वारा दिनांक 08.06.2015 को परिपत्र जारी किया गया था।

उक्त परिपत्र के बिन्दु संख्या 15.03 में समिति दिनांक 22.07.2010 का सन्दर्भ सहवन से अंकित होना रह गया था, इस संबंध में नगरीय विकास विभाग, राजस्थान सरकार के उक्त संदर्भित पत्र क्रमांक प.10(35)नविवि/3/2010/पार्ट–I दिनांक 29.10.2016 के अनुसार परिपत्र दिनांक 08.06.2015 के बिन्दु संख्या 15.03 में आदेश दिनांक 22.07.2010 द्वारा गठित समिति वर्तमान में प्रभावी है। (नगरीय विकास विभाग के पत्र दिनांक 29.10.2016 की प्रति संलग्न हैं।)

(पुरूषोत्तम बियाणी)
निदेशक एवं पदेन संयुक्त सचिव

राजस्थान सरकार
नगरीय विकास विभाग

क्रमांक प.10(135)नविवि/3/2010 पार्ट–I जयपुर, दिनांक :– 29 SEP 2016

निदेशक,
स्थानीय निकाय विभाग,
राजस्थान,
जयपुर।

विषय :– **भू–उपयोग परिवर्तन के प्रकरणों के निस्तारण के संबंध मे गठित समिति दिनांक 22.07.2010 के संबंध मे।**

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत निर्देशानुसार लेख है कि राज्य के नगरीय क्षेत्र हेतु भू–उपयोग परिवर्तन नियम, 2010 के आदेश दिनांक 16.04.2010 एवं 28.10.2010 तथा समय –समय पर जारी अन्य आदेशों को इकजाई करते हुए भू–उपयोग परिवर्तन की विस्तृत प्रकिया व मानदण्ड हेतु दिनांक 08.06.2015 को परिपत्र जारी किया गया था। उक्त परिपत्र के बिन्दु संख्या 15.03 में समिति दिनांक 22.07.2010 का सन्दर्भ सहवन से अंकित होना रह गया था।

अतः परिपत्र दिनांक 08.06.2015 के बिन्दु संख्या 15.03 मे आदेश दिनांक 22.07.2010 द्वारा गठित समिति वर्तमान मे प्रभावी है।

भवदीय,
29/9/16
(राजेन्द्र सिंह शेखावत)
संयुक्त शासन सचिव–द्वितीय

राजस्थान सरकार
नगरीय विकास विभाग

क्रमांक प. 10 (35)नविवि/3/2010 पार्ट   जयपुर, दिनांक 22 JUL 2010

परिपत्र

विषय :— भू—उपयोग परिवर्तन की विस्तृत प्रक्रिया व मानदण्ड में शिथिलता के संबंध में।

राज्य सरकार द्वारा जारी समसंख्यक परिपत्र दिनांक 16.04.2010 के बिन्दु सं. 4.5, 5.1 एवं 5.2 में व्यावसायिक प्रयोजनार्थ भू—उपयोग परिवर्तन हेतु भूखण्ड का न्यूनतम क्षेत्रफल व सडक की न्यूनतम चौडाई तय की गई है, किन्तु कुछ छोटे शहरों से न्यूनतम वांछित क्षेत्रफल का भूखण्ड व वांछित चौडाई की सडक में शिथिलता दिये जाने बाबत स्थानीय नगरीय निकायों से पत्र प्राप्त हो रहे हैं। विचार—विमर्श पश्चात् ऐसे प्रकरणों में जहां व्यावसायिक प्रयोजनार्थ भवन निर्मित हो चुके है अथवा प्रस्तावित है में 500 वर्गमीटर तक क्षेत्रफल के व्यावसायिक प्रयोजनार्थ भू—उपयोग परिवर्तन हेतु निर्धारित न्यूनतम क्षेत्रफल व सड़क की चौडाई में शिथिलता दिये जाने बाबत प्रकरणों पर विचार—विमर्श हेतु, निकाय स्तर पर निम्नानुसार एक कमेटी गठित की जाती है जो ऐसे प्रकरणों की जांच कर अपने स्तर पर निर्णय लेगी :—

1.	अध्यक्ष, संबंधित स्थानीय निकाय	अध्यक्ष
2.	स्थानीय निकाय का वरिष्ठतम तकनीकी अधिकारी	सदस्य
3.	स्थानीय निकाय का विधि सलाहकार /विधि अधिकारी	सदस्य
4.	क्षेत्रीय, वरिष्ठ/उप नगर नियोजक	सदस्य
5.	नगर विकास न्यास होने की स्थिति में सचिव, नगर विकास न्यास	सदस्य
6.	संबंधित स्थानीय निकाय का मुख्य कार्यकारी अधिकारी/आयुक्त/अधिशाषी अधिकारी	सदस्य सचिव

(गुरदयाल सिंह संधु)
प्रमुख शासन सचिव

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :—

1. प्रमुख सचिव, मुख्यमंत्री महोदय, राजस्थान सरकार, जयपुर।

2. विशिष्ठ सहायक, मा. मंत्री, नगरीय विकास विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर।
3. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, नगरीय विकास एवं स्वायत्त शासन विभाग।
4. निजी सचिव, शासन सचिव, स्वायत्त शासन विभाग।
5. आयुक्त, जयपुर/जोधपुर विकास प्राधिकरण।
6. निदेशक, स्थानीय निकाय विभाग, राजस्थान, जयपुर को समस्त स्थानीय निकायों को आवश्यक निर्देश जारी करने के लिये।
7. मुख्य नगर नियोजक, राजस्थान, जयपुर।
8. मुख्य नगर नियोजक (एनसीआर), राजस्थान, जयपुर।
9. निदेशक, नगर आयोजना एवं सदस्य सचिव, राज्य स्तरीय भू–उपयोग परिवर्तन समिति।
10. सचिव, नगर विकास न्यास, समस्त ....।
11. निदेशक, जनसम्पर्क विभाग, राजस्थान, जयपुर।
12. रक्षित पत्रावली।

(निष्काम दिवाकर)
शासन उप सचिव–द्वितीय